(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 73 **नई दिल्ली,** 10 मई 2005

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, विशिष्ट कर्षण नौकाओं, लांचों, मोबाइल, क्रेनों, ग्रैब, सर्वे लांचों और डीजीपीएस सर्वे उपकर, व्हार्फ क्रेनों के किराया प्रभार निर्धारित करने और 150 टन तैरती क्रेन के लिए श्रमिकों के समयोपरि प्रभार निर्धारित करने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित प्रकरणों को प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित प्रकरणों को संलग्न आदेशानुसार बंद करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /61/2004-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास ---- आवेदक

आदेश

(मई 2005 के 2 रे दिन पारित)

चेन्नई पत्तन न्यास ने इस प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित सात प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल किए थे:

(i) के लिए किराया प्रभार निर्धारित करना

(क) नई कर्षण नौकाएँ ''सुंदरनार'' और ''सेक्कीज़ार''-(प्रकरण सं. टीएएमपी/43/2004-सीएचपीटी)

(ख) पाइलट लाँच-प्रोग्रैस, मुथु और यूटिलिटी) -(प्रक रण सं. टीएएमपी/44/2004-सीएचपीटी)

(ग) 75 टन क्षमता की टायर पर आरुढ़ एक मोबाइल क्रेन- (प्रकरण सं. टीएएमपी/45/2004-सीएचपीटी)

(घ) 5 और 8 घन मीटर क्षमता के ग्रैब्स - (प्रकरण सं. टीएएमपी/46/2004-सीएचपीटी)

(ड.) सर्वे लांच IV और डीजीपीएस सर्वे उपकरण - (प्रकरण सं. टीएएमपी/54/2004-सीएचपीटी)

(च) 15 टन की इलैक्ट्रानिक लेवल लाफिंग व्हार्फ क्रेन - (प्रकरण सं. टीएएमपी/61/2004-सीएचपीटी)

(ii) 150 टन वाली तैरती क्रेन के कर्मचारियों के लिए सम. भत्ता का निर्धारण - (प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2004-सीएचपीटी)

2. प्रत्येक संदर्भित प्रस्ताव को एक अलग प्रशुल्क प्रकरण के रूप में स्वीकृत किया गया था और अपनाई हुई परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन पर आगामी कार्रवाई की गई । इन सभी प्रकरणों में एक संयुक्त सुनवाई 14 फरवरी 2005 को सीएचपीटी के परिसर में आयोजित की गई थी ।

3. संयुक्त सुनवाई में यह सहमति हुई थी कि सीएचपीटी आनुषंगिक उपयोगकर्त्ताओं के परामर्श से सभी प्रस्तावों को दोबारा तैयार करेगा किन्तु, सीएचपीटी ने ऐसे संशोधित प्रस्ताव दाखिल नहीं किए । इसकी बजाए सीएचपीटी ने दिनांक 29 अप्रैल 2005 के अपने पत्र द्वारा संदर्भित प्रस्तावों को वापिस लेने और अपने दरमान की सामान्य समीक्षा हेतु व्यापक प्रस्ताव निर्माणाधीन) में सम्मिलित करने का निर्णय सूचित किया है ।

4. परिणामस्वरूप, यह प्राधिकरण सभी सात प्रशुल्क प्रकरण वापिस लिए गए रूप में बंद करने का निर्णय लेता है ।

(अ.ल.बोंगिरवार)

अध्यक्ष